

# सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं० ..... 1053 / 2025

आवेदन सं० .....

युक्ति श्री ..... Shri Raman Sharma Adv. Ansumar ..... ने मेरे

पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के निबधित सव्यवहारों और अभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अवभारों के बारे में यही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 13-9-2011 से ता० 15-1-2012 तक ..... तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अवभारों का पता चला है -

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रकृति के प्रति निर्देश	लिद सं.	वर्ष	पृष्ठ
				निष्पादन	दावेदार				
1	Killoga Guthwa No-138 Ranewi Khatas No. 04 pley No-1136 & 1140 Arcei 16 dec								

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

1. बंधक - पत्र की दशा में लाभ की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्त कि इनके बारे में उल्लेख हो।
2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अभकारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अभकारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया -

हरस्ताक्षर :- *Aswani*

(पदनाम) :- 19-3-25


तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हरस्ताक्षर :-

(पदनाम) :-

कार्यालय :- सैची शहरी क्षेत्र संख्या-03 (काँके प्रक्षेत्र)

तारीख : 19-3-25



निबंधन पदाधिकारी का हरस्ताक्षर।  
19-3-25

टिप्पणी: इस प्रमाण में जो संव्यवहार और अभकार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार

पाये गये हैं। यदि आवेदन द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।  
(1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियाँ और अनुक्रमणियाँ (इन्डेक्स) की प्रवृत्तियाँ देचना चाहते हैं अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अभकारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

~~(3)~~ और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूँदे गये संव्यवहारों और अभकारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ना दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अभकारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

शु. 334 2-वीं पृ. 19-3-25 अग्र. श्रीं Rahman 45 30 अ. 20, 4A  
Manager I D B I Bank Raveli को अग्र.

निबंधन पदाधिकारी

सैची शहरी क्षेत्र संख्या-03

(काँके प्रक्षेत्र)

19-3-25